प्ररूप 19

(नियम 115 और 127 देखिये)

पशु के क्रेता को दी जाने वाली रसीद

पुस्तक सं. ....

क्रम सं. .... दिनांक .... 19 ....

कांजी हाउस का नाम ....

पंचायत ....

पंचायत समिति ....

पशु के क्रेता को दी जाने वाली रसीद

पुस्तक सं. ....

क्रम सं. .... दिनांक .... 19 ....

कांजी हाउस का नाम ....

पंचायत ....

पंचायत समिति ....

कांजी हाउस रजिस्टर संख्यांक	पशु का विवरण और वर्ग	पहचान का चिह्न या रूप	पशु के क्रेता का नाम और निवास स्थान	कीमत जिस पर पशु नीलाम द्वारा बेचे गये	रोकड़ बही में प्रविष्टि की विशिष्टियां	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7

पशु के क्रेता के हस्ताक्षर

सरपंच के हस्ताक्षर

प्ररूप 20

(नियम 137 देखिये)

भवनों और स्थावर सम्पत्तियों का रजिस्टर

पंचायत................................

पंचायत समिति................................

जिला................................

वर्ष........................19...............

क्र. सं.	सम्पत्ति की प्राप्ति की तारीख	सम्पत्ति विशिष्टियां	मूल्य	वह प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया	वार्षिक आय, यदि कोई हो	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7

प्ररूप 21

(नियम 146 देखिये)

आबादी भूमि के विक्रय का रजिस्टर

पंचायत .... पंचायत समिति ....

जिला .... वर्ष ....

क्र. सं.	पत्रावली संख्यांक और वर्ष	पत्रावली की तारीख	पत्रावली का विषय	भूमि की विशिष्टियां	संकल्प सं. विनिश्चय की तारीख	संक्षेप में आदेश का सार	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8

प्ररूप 22

(नियम 148 देखिये)

आबादी भूमि के प्रस्तावित विक्रय के सम्बन्ध में आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस

पंचायत .... पंचायत समिति .... जिला परिषद् ....

नोटिस

सं. .... दिनांक ....

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि श्री .... पुत्र श्री .... निवासी .... ने इस पंचायत में नीचे वर्णित भूमि का क्रय करने के लिये आवेदन किया है:-

(भूमि का विवरण)

यदि किसी को भी ऊपर उल्लिखित भूमि के विक्रय पर कोई आक्षेप हो तो उसे उस तारीख से एक मास के भीतर अपने आक्षेप फाइल कर देने चाहिए।

पंचायत की मुहर **सरपंच के हस्ताक्षर**

प्ररूप 23

(नियम 167 (1) देखिये)

आबादी भूमि का विक्रय विलेख

यह विक्रय-विलेख आज दिनांक .... को प्रथम पक्ष, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का राजस्थान अधिनियम सं. 13) के अधीन स्थापित पंचायत, जो उस अधिनियम की धारा 9 के उपबन्धों के आधार पर एक निगमित निकाय है। जिसे इसमें आगे 'विक्रेता' कहा गया है और दूसरे पक्ष श्री .... पुत्र .... निवासी .... जिन्हें इसमें आगे 'क्रेता' कहा गया है, के बीच किया जाता है।

यत:

1. इसकी अनुसूची में वर्णित और इससे उपाबद्ध योजना में अधिक विशिष्ट रूप से वर्णित भूमि, जो उसे लाल रंग में सीमाबद्ध दर्शित करती है, विक्रेता के प्रयोजन के लिए विक्रेता में निहित है।

2. उक्त भूमि दिनांक .... को विक्रेता की ओर से विक्रय के लिए नीलाम के लिए (भूमि के क्रय हेतु श्री .... के आवेदन के अनुसरण में) प्रस्तावित की गई थी और क्रेता की रु. .... की बोली सबसे ऊंची होने के कारण स्वीकार कर ली गयी थी।

उक्त भूमि .... रु. की बाजार दर (बातचीत द्वारा विक्रय के लिए लागू) पर बातचीत द्वारा बेची गयी है और विक्रेता पंचायत के संकल्प सं. .... दिनांक .... द्वारा मंजूर की गयी तथा पंचायत समिति/जिला परिषद्/राज्य सरकार के आदेश सं. .... दिनांक .... द्वारा पुष्ट की गई है।

3. उक्त नीलाम अद्यतन यथा-संशोधित राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 150 से 152 के अनुसरण में किया गया था; और

4. क्रेता ने ...., रु. की उक्त राशि विक्रेता के खाते में जमा करायी है। अब यह विलेख निम्नलिखित रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करता है:-

1. उक्त नीलाम/विक्रय के अनुसरण में और पूर्वोक्त क्रेता द्वारा संदत्त .... रु. की राशि के प्रतिफल में (जिसकी प्राप्ति विक्रेता इसके द्वारा अभिस्वीकृत करता है), विक्रेता इसकी अनुसूची में वर्णित और इससे उपाबद्ध योजना में, जो इसे लाल रंग में सीमाबद्ध दर्शित करती है, में अधिक विशिष्टत: वर्णित भूमि क्रेता को ऐसे उप-करों और करों के संदाय के अध्यधीन रहते हुए जो इस पर विधिपूर्वक निर्धारित या अधिरोपित किये जायें, और तत्समय प्रवृत्त राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों और उप-विधियों द्वारा अधिरोपित निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए क्रेता को पूर्ण स्वामी के रूप में उसे धारित करवाने के लिए, इसके द्वारा क्रेता को अन्तरित करता है।

2. इसके द्वारा यह करार किया जाता है कि इसमें इसके पूर्व प्रयुक्त अभिव्यक्ति ''विक्रेता'' में विक्रेता के उत्तराधिकारी और समनुदेशिती सम्मिलित हैं और इसमें इसके पूर्व प्रयुक्त अभिव्यक्ति ''क्रेता'' में उसके वारिस, प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी और समनुदेशिती सम्मिलित हैं।

(अनुसूची और योजना (रेखांक) उपाबद्ध की जाये)

पंचायत .... की ओर से, पंचायत के संकल्प सं. .... दिनांक .... के अनुसरण में हस्ताक्षर किये गये।

सरपंच/ग्राम सेवक एवं सचिव के हस्ताक्षर

क्रेता के हस्ताक्षर

साक्षी सं. 1 .... साक्षी सं. 1 ....

साक्षी सं. 2 .... साक्षी सं. 2 ....

त
, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,
त, जो उस अधिनियम की धारा 9 के
कर्ता' कहा गया है और दूसरे पक्ष
....
है, के बीच किया जाता है।

ष्ट रूप से वर्णित भूमि, जो उसे लाल

ओर से विक्रय के लिए नीलाम के लिए
अनुसरण में) प्रस्तावित की गई थी और
कलन स्वीकार कर ली गयी थी।
बातचीत द्वारा विक्रय के लिए लागू) पर
.... दिनांक ....
....

, 1996 के नियम 150 से 152 के

खाते में जमा करायी है। अब यह विलेख

.... रु. की
विक्रेता इसकी अनुसूची में वर्णित और
विशिष्टतः वर्णित भूमि क्रेता को ऐसे
अधिरोपित किये जायें, और तत्समय
नों और उप-विधियों द्वारा अधिरोपित
के लिए, इसके द्वारा क्रेता को अन्तरित

भिव्यक्ति ''विक्रेता'' में विक्रेता के
भिव्यक्ति ''क्रेता'' में उसके वारिस,

जाये)
के संकल्प सं. ....

क्रेता के हस्ताक्षर

....
....

*[प्ररूप 23क

(नियम 157 (1) देखिये)

आवासीय भूमि का पट्टा

ग्राम पंचायत ....

पंचायत समिति ....

जिला .... (राजस्थान)

यह विलेख आज दिनांक .... को प्रथम पक्ष, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का राजस्थान अधिनियम सं. 13) के अधीन स्थापित पंचायत-(पंचायत का नाम)-(जिसे इसमें इसके पश्चात् ''आवंटन प्राधिकारी'' कहा गया है) और दूसरे पक्ष श्री/श्रीमती/सुश्री .... पुत्र/पत्नी/पुत्री .... निवासी .... (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''आवंटिती'' कहा गया है) के बीच किया जाता है।

यतः

इसे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि, जो उसे लाल रंग में सीमाबद्ध दर्शित करती है, आवंटन के प्रयोजन के लिये आवंटन प्राधिकारी में निहित है।

यह पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (1) के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर श्री/श्रीमती .... पुत्र/पत्नी .... के पक्ष में जारी किया जाता है:-

1. पूर्वोक्त आवंटिती का पचास वर्ष से अधिक से पुराने घर पर कब्जा है/पंचायत आबादी भूमि पर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रारम्भ होने की तारीख से पिछले पचास वर्षों के दौरान संनिर्मित किया गया है। आवंटिती ने एक सौ/दो सौ रुपये की फीस निक्षिप्त कर दी है।
2. उपाबद्ध मानचित्र योजना में भूमि का क्षेत्र लाल स्याही से चिन्हित है।
3. आवंटिती घर के पुनर्निर्माण के लिए उधार लेने के लिए दस्तावेज सरकारी उपक्रम, सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्था के पास बंधक रख सकता है।
4. आवंटिती सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को संदेय समस्त करों या अन्य प्रभारों का संदाय करने का दायी होगा।

---

* अधिसूचना सं. एफ.4 (11)पराबि/विधि/नियम/संशोधन/07/445, दिनांक 1 फरवरी, 2008 द्वारा अन्तःस्थापित। (राजस्थान राजपत्र, विशेषांक, भाग 4 (ग), दिनांक 18 फरवरी,2008 में प्रकाशित तथा प्रभावी)।

संकल्प सं. .... की अनुपालना में आज दिनांक ....

को ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया।

हस्ताक्षर सचिव

हस्ताक्षर सरपंच

सीमांकन

1. उत्तर ....

2. दक्षिण ....

3. पूर्व ....

4. पश्चिम ....

मानचित्र : (मानचित्र में दर्शित भूमि लाल स्याही से सीमांकित है)

माप

उत्तर की ओर ....

दक्षिण की ओर ....

पूर्व की ओर ....

पश्चिम की ओर ....

कुल क्षेत्र .... वर्ग गज

हस्ताक्षर सचिव

हस्ताक्षर सरपंच]

[प्ररूप 23क

....

हस्ताक्षर सरपंच

हस्ताक्षर सरपंच]

*[प्ररूप 23ख

(नियम 152 (2) देखिये)

आवादी भूमि का आवंटन/परिवारों में के कब्जे के अस्थायी मकानों/कच्चे मकानों का नियमितीकरण

विक्रय के लिए नहीं
(लाल स्याही से)

ग्राम पंचायत ....

पंचायत समिति ....

जिला .... (राजस्थान)

यह विलेख आज दिनांक .... को प्रथम पक्ष, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का राजस्थान अधिनियम सं. 13) के अधीन स्थापित पंचायत (ग्राम पंचायत का नाम) ...., जो उस अधिनियम की धारा 9 के उपबन्धों के आधार पर एक निगमित निकाय है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आवंटन प्राधिकारी" कहा गया है) और दूसरे पक्ष श्रीमती .... पत्नी .... निवासी .... (जिसे इसमें इसके पश्चात् आवंटिती कहा गया है) के बीच किया जाता है।

यतः

इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि, जो उसे लाल रंग में सीमाबद्ध दर्शित करती है, आवंटन प्राधिकारी में निहित है।

यतः आवंटिती के परिवार के पास कहीं भी कोई घर या निवास स्थल नहीं है और पूर्वोक्त भूमि पर वर्ष 2003 तक अस्थायी मकान/कच्चे मकान के संनिर्माण के रूप में आवादी भूमि का कब्जा है।

यतः ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (2) के अधीन आवंटिती को भूमि आवंटित कर दी है और भूमि का कब्जा सौंप दिया है।

और यतः पंचायत इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित निबन्धनों और शर्तों पर उपर्युक्त भूमि, जिसकी माप .... वर्ग गज (अधिकतम 300 गज) है, आवंटित करने के लिए करार करती है।

और यतः पंचायत ने दिनांक .... को आवंटिती को पट्टांतरित भूमि का कब्जा सौंप दिया है।

अब यह विलेख निम्नलिखित रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करता है:-

1. यह आवंटन नियमों में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् किया गया है।
2. ऐसी भूमि श्रीमती .... को आवंटन प्राधिकारी को उसके आवेदन के संबंध में आवासीय प्रयोजन के लिए निःशुल्क आवंटित की गयी है।
3. आवंटिती और उसके वारिसों को किसी भी व्यक्ति को भूमि अन्तरण करने का अधिकार नहीं होगा और शर्त सं. 4 में उपबंधित के सिवाय भूमि आवंटिती के स्वयं के कब्जे में रहेगी।
4. इस भूमि पर घर का संनिर्माण करने के लिए, आवंटिती को सरकारी उपक्रम, सहकारी बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्था से उधार लेने के लिए दस्तावेज को बंधक रखने का अधिकार होगा।
5. यह भू-खण्ड आवासीय प्रयोजन के रूप में उपयोग में लिया जा सकेगा।

---

* अधिसूचना सं. एफ. 4 (11) पराबि/विधि/नियम/संशो./07/445, दिनांक 1 फरवरी, 2008 द्वारा अन्तःस्थापित। (राजस्थान राजपत्र, विशेषांक, भाग 4 (ग) दिनांक 18 फरवरी, 2008 में प्रकाशित तथा प्रभावी)।

6. आवंटन प्राधिकारी के पास भूमि के आवंटन को रद्द करने का अधिकार आरक्षित है यदि आवंटिती द्वारा कोई मिथ्या जानकारी दी जाती है या यदि वह किसी व्यक्ति को भू-खण्ड का अन्तरण करता है।
7. आवंटिती गांव के व्यवस्थित विकास के लिए ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित योजनाओं का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा।
8. आवंटन प्राधिकारी के पास आवंटन रद्द करने का अधिकार आरक्षित है यदि आवेदक किसी शर्त या नियमों के किन्हीं उपबन्धों का अतिक्रमण करता है। आवंटन रद्द करने के पूर्व आवंटन प्राधिकारी आवंटिती को सुनवाई का अवसर देगा।
9. आवंटिती सरकार और अन्य स्थानीय प्राधिकारी को संदेय समस्त करों या प्रभारों का संदाय करने का दायी होगा।

संकल्प सं. .... की अनुपालना में आज दिनांक .... को ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया।

हस्ताक्षर सचिव

हस्ताक्षर सरपंच

सीमांकन

1. उत्तर ....
2. दक्षिण ....
3. पूर्व ....
4. पश्चिम ....

मानचित्र : (मानचित्र में दर्शित भूमि लाल स्याही से सीमांकित है)

माप

उत्तर की ओर ....

दक्षिण की ओर ....

पूर्व की ओर ....

पश्चिम की ओर ....

कुल क्षेत्र .... वर्ग गज

हस्ताक्षर सचिव

हस्ताक्षर सरपंच]

*[प्ररूप 23ग

(नियम 158 देखिये)

आबादी भूमि का रियायती दर पर/निःशुल्क आवंटन

ग्राम पंचायत ....

पंचायत समिति ....

जिला .... (राजस्थान)

यह विक्रय विलेख आज दिनांक .... को प्रथम पक्ष, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का राजस्थान अधिनियम सं. 13) के अधीन स्थापित पंचायत (ग्राम पंचायत का नाम) ...., जो उस अधिनियम की धारा 9 के उपबन्धों के आधार पर एक निगमित निकाय है (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''आवंटन प्राधिकारी'' कहा गया है) और दूसरे पक्ष श्रीमती .... पत्नी .... निवासी .... (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''आवंटिती'' कहा गया है) के बीच किया जाता है।

यतः आवंटिती ने घर के संनिर्माण के लिए रियायती दर पर/निःशुल्क भूमि आवंटन के लिए अनुरोध किया है और पंचायत उसी के आवंटन के लिए करार करती है।

यतः ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के अधीन भूमि आवंटित कर दी है और भूमि का कब्जा आवंटिती को सौंप दिया है।

और यतः पंचायत इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित निबन्धनों और शर्तों पर आवासीय प्रयोजन के लिए भूमि, जिसकी माप .... वर्ग गज है (अधिकतम 150 गज), आवंटन करने का करार करती है।

और यतः पंचायत ने आवंटिती को पट्टांतरित भूमि का कब्जा सौंप दिया है।

अब यह विलेख निम्नलिखित रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करता है:-

1. आवंटिती रियायती दर पर/निःशुल्क आवंटन का पात्र है।
2. भूमि, जो उपाबद्ध मानचित्र में लाल स्याही में उपदर्शित है, आवंटिती को आवासीय प्रयोजन के लिए अन्तरित की जाती है।
3. आवंटिती और उसके वारिसों को किसी भी व्यक्ति को भूमि अन्तरण करने का अधिकार नहीं होगा और शर्त सं. 4 में उपबंधित के सिवाय भूमि आवंटिती के स्वयं के कब्जे में रहेगी।
4. इस भूमि पर घर का संनिर्माण करने के लिए आवंटिती को सरकारी उपक्रम, सहकारी बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्था से उधार लेने के लिए दस्तावेज को बंधक रखने का अधिकार होगा।
5. ऐसी भूमि आवंटिती को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के उपबन्धों के अनुसार उसके आवेदन के संबंध में आवासीय प्रयोजन के लिए .... दर पर/निःशुल्क आवंटित की गयी है।
6. यह भू-खण्ड आवासीय प्रयोजन के रूप में उपयोग में लिया जा सकेगा।

---

* अधिसूचना सं. एफ. 4 (11) पराधि/विधि/नियम/संशो./07/445, दिनांक 1 फरवरी, 2008 द्वारा अन्तःस्थापित, (राजस्थान राजपत्र, विशेषांक, भाग 4 (ग), दिनांक 18 फरवरी, 2008 में प्रकाशित तथा प्रभावी)।

7. आवंटन प्राधिकारी के पास भूमि के आवंटन को रद्द करने का अधिकार आरक्षित है यदि आवंटिती द्वारा कोई मिथ्या जानकारी दी जाती है या यदि वह किसी व्यक्ति को भू-खण्ड का अन्तरण करता है।

8. आवंटिती गांव के व्यवस्थित विकास के लिए ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित योजनाओं का अनुपालन करने के लिए आवद्ध होगा।

9. आवंटन प्राधिकारी के पास आवंटन रद्द करने का अधिकार आरक्षित है यदि आवेदक किसी शर्त या नियमों के किन्हीं उपबन्धों का अतिक्रमण करता है। आवंटन रद्द करने के पूर्व आवंटन प्राधिकारी आवंटिती को सुनवाई का अवसर देगा।

10. आवंटिती सरकार और अन्य स्थानीय प्राधिकारी को संदेय समस्त करों या प्रभारों का संदाय करने का दायी होगा।

संकल्प सं. .... की अनुपालना में आज दिनांक .... को ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया।

हस्ताक्षर सचिव हस्ताक्षर सरपंच

सीमांकन

1. उत्तर ....
2. दक्षिण ....
3. पूर्व ....
4. पश्चिम ....

मानचित्र : (मानचित्र में दर्शित भूमि लाल स्याही से सीमांकित है)

माप

उत्तर की ओर ....

दक्षिण की ओर ....

पूर्व की ओर ....

पश्चिम की ओर ....

कुल क्षेत्र .... वर्ग गज

हस्ताक्षर सचिव हस्ताक्षर सरपंच]

प्ररूप 24

(नियम 168 (1) देखिये)

आबादी भूमि की पट्टा बही (विक्रय विलेखों का रजिस्टर)

प्ररूप 24

(नियम 168 (1) देखिये)

आबादी भूमि की पट्टा बही (विक्रय विलेखों का रजिस्टर)

पंचायत .... पंचायत समिति .... जिला ....

क्र. सं.	पत्रावली सं.	पंचायत के आदेश की सं. और तारीख और उच्चतर प्राधिकारी, यदि कोई हो, की पुष्टि सं. और तारीख	भूखण्ड सं. और नाप	कुल लागत	विक्रय विलेख अभिप्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम	पट्टा प्राप्तिकर्ता के हस्ताक्षर	सचिव/ सरपंच के हस्ताक्षर	पंचायत समिति के मासिक विवरण क्रम सं. .... से .... तक भेजने की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9